

अज अदालत..... सहायक कलेक्टर (SDO) ..... मुकाम.....  
बायतु

..... कुंभाराम वर्मा ..... बनाम ..... शंकरा राम वर्मा .....

किस्म मुकदमा..... राजस्व आदेश ..... नं..... 238 ..... सन् 2018 .....

| तारीख हुक्म | हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज   | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|-------------|---|---|
| 8/10/2018   | <p>प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री <u>कुंभाराम वर्मा</u><br/>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा ..... <u>111, 128</u> ..... <u>ORDER</u><br/>राजस्थान कर्षतकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।<br/>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन<br/>तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>14/11/2018</u> को पेश हो।</p> | <p><i>[Signature]</i></p>                             |
| 14/11/18    | <p>प्रार्थी पक्षील उपरिपत्र। प्रप्रार्थी/वादी के नोटिस तामिल फरम तामिल प्रपत्र/सम्पन पत्रावली अधिकारी द्वारा प्रार्थी के व्यत्य होने से सिवाल इल्लव दोडर आगामी दिनांक <u>18/12/18</u> को पेश हो।</p>  |   |
| 18/12/18    | <p>प्रार्थी पक्षील उपरिपत्र। प्रप्रार्थी/वादी के नोटिस तामिल फरम तामिल प्रपत्र/सम्पन पत्रावली अधिकारी द्वारा प्रार्थी के व्यत्य होने से सिवाल इल्लव दोडर आगामी दिनांक <u>20/02/19</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">//</p>  |   |

20/02/19

प्रार्थी वहील उपस्थित। अपाथीगणों के  
नोटिस तामिल खुला गलत जिसे शामिल पत्रावली  
हीमा उभा। अपाथीगण वाकजुड तामिल अनुपस्थित।  
सोपान चोठामिन अधिकारी डिग्नर डामो के व्यक्त  
दोने से मिशाल बल्लवा टोडर आगामी दिनांक  
10/04/19 को पैरा टी/५

10/04/19

प्रार्थी वहील उपस्थित। अपाथीगण वाकजुड  
तामिल अनुपस्थित। न्यायालय समर्थ तीन बार  
आवाज लगाई गई संक्षिप्त आवाज 5:45 pm पर  
लगाई गई अपाथीगण स्वयं या इनकी तरफ से  
कोई अधिकारता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा इनके  
पिरवड एकतरफा कार्यवाही प्रमल में लाई जाली है।  
प्रार्थी के अधिकारता की एकपक्षीय बहस हुनी गई  
प्रार्थी के अधिकारता ने बलामा की प्रार्थी को अपने  
व्यावहारिक खेतों के चारों तरफ पक्के नेष्यम स्थापित  
करवाना आवश्यक है इसलिए प्रार्थी का नेष्यमबन्दी  
आवेदन स्वीकार हीमा जाडर नेष्यमबन्दी आदेश हीमा  
जावे। नितः प्रार्थी अधिकारता के निवेदन पर प्रार्थी  
का नेष्यमबन्दी आवेदन स्वीकार हीमा जाडर नेष्यमबन्दी  
आदेश हीमा जावे। ४ लक्ष्मीलडाए वाग्रड को इमिक्शन  
निमुक्त हीमा जाला है व आदेश विमा जाला है कि  
आप स्वयं या अपने अधिनस्थ कौनो भी धू अधिकार  
निरिस्तुड ले प्रार्थी के व्यावहारिक खेतों की पक्की नेष्यमबन्दी  
मौके पर खुलुड जमा कराडर करे, पालना रिपोर्ट गलत दोने  
पर शामिल पत्रावली टी, पत्रावली लेसल खुला टी फर्ज  
नम्बर से ४म टी दाखिल करल टी/५  
10.4.2019

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक/वाद/2019/ 121

दिनांक:- 10/4/19

प्रार्थीगण

बनाम

विप्रार्थीगण

1. कुम्भाराम पुत्र ईशराराम वगैरा 3 जाति जाट निवासी उमोणी डऊकियों, की ढाणी बाटाडू तहसील बायतु जिला बाडमेर
1. भंवराराम पुत्र जवाराराम जाति सुथार वगैरा 36 निवासी उमोणी डऊकियों की ढाणी, बाटाडू तहसील बायतु जिला बाडमेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 238/ 2018

## आदेश

मौजा उमोणी डऊकियों की ढाणी पटवार हल्का बाटाडू तहसील बायतु जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 1728 रकबा 0-08 बीघा व खसरा संख्या 1729 रकबा 194-00 बीघा व खसरा संख्या 1778 रकबा 20-19 बीघा की भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार बायतु को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वे स्वयं या अपने किसी अधिनस्थ भूअ.निरिक्षक से प्रार्थीगण के खोतेदारी खेतों की पक्की नेखमबन्दी मौके पर कमीश्नर शुल्क जमा करा कर करें। तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी बायतु से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।



क्रमांक/वाद/2019/ 122-126

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

तहसीलदार बायतु

2. पटवारी बाटाडू को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेंकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण श्री कुम्भाराम पुत्र ईशराराम वगैरा
4. विप्रार्थीगण भंवराराम पुत्र श्री जवाराराम वगैरा
5. थाना अधिकारी पुलिस थाना गिडा

10.4.2019  
उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांक:- 10/4/19 बायतु

10.4.2019  
उपखण्ड अधिकारी बायतु